139

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. / /2016 निगरानी निग – 3145 – II–16

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चावण्ड द्वारा आज दि. 02/07/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-7-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. पप्पू पुत्र चेतू कोरी,
2. सिद्धार्थ पुत्र फोसू कुम्हार,
3. केसरिया पुत्र नक्टू कुशवाह समस्त निवासीगण ग्राम छार जिला शिवपुरी (म.प्र.)

........आवेदक

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र भोला,
2. भवूती पुत्र करन सिंह,
3. भैरोलाल,
4. भरोसी
5. फेरन पुत्रगण सांवरिया समस्त जाति काछी निवासीगण ग्राम छार जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...........अनोवदक

ब्रजेन्द्र सिंह चावण्ड 02/07/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.06.2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 102/2014–15 अपील से असंतुष्ट होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा उक्त विवादित भूमि पर बिना सीमांकन कार्यवाही के आवेदक के विरूद्ध 250 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कब्जा हटाने बाबत् आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसको तहसीलदार महोदय जिला शिवपुरी द्वारा अनावेदकगणों का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./2145/दो/2016 जिला- शिवपुरी

पप्पू कोरी आदि विरूध बाबूलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-102/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 16/06/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	